

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

Rejoinder by Applicant

In

ORIGINAL APPLICATION NO. 1322 OF 2024

IN THE MATTER OF

Rajneesh Karnwal

APPLICANT IN PERSON

Versus

Union of India and ors.

RESPONDENTS

INDEX

S.No	Particulars	Page No
1.	Rejoinder By Applicant	1-2
2.	Annexure 1	3

Place : Hastinapur

Date : 15.07.2026

Rajneesh Karnwal

(Applicant In Person)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

Rejoinder by Applicant

In

ORIGINAL APPLICATION NO. 1322 OF 2024

IN THE MATTER OF

Rajneesh Karnwal

APPLICANT IN PERSON

Versus

Union of India and ors.

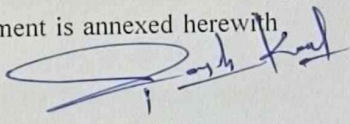
RESPONDENTS

Rejoinder by Applicant

MOST RESPECTFULLY SHOWETH;

I, Rajneesh Karnwal, aged about 39 years, resident of Hastinapur, Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That the Applicant filed an application under the Right to Information Act, 2005 before the Irrigation Department seeking information regarding the authority competent to grant permission for mining activities within the notified Sanctuary Area. In response, the Irrigation Department, Meerut, informed the Applicant that the **permission for mining in the Sanctuary Area had been granted by the District Magistrate, Meerut**. A true copy of the RTI application along with the reply furnished by the Irrigation Department is annexed herewith and marked as ANNEXURE-1.


Rajneesh Karnwal
Applicant InPerson

Date: 15.07.2026

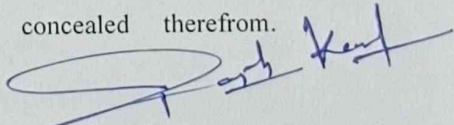
Place: Hastinapur

VERIFICATION

Verified on this 15th day of July 2026 that the contents of the above application are true and correct to my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

Date: 15.07.2026

Place: Hastinapur


Rajneesh Karnwal
Applicant InPerson

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

Rejoinder by Applicant

In

ORIGINAL APPLICATION NO. 1322 OF 2024

IN THE MATTER OF

Rajneesh Karnwal

APPLICANT IN PERSON

Versus

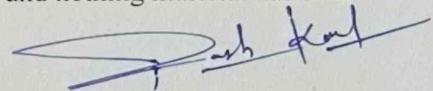
Union of India and ors.

RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, Rajneesh Karnwal, R/o Hastinapur, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and declare as under:

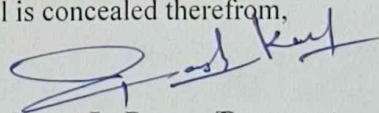
1. That I am the Applicant/Applicant In Person in above mentioned application and I am fully conversant with the facts and circumstances of the case and therefore competent to swear this affidavit.
2. That the statements made in above paragraphs of this affidavit is true to my knowledge and belief.
3. That the contents of the Application are true and correct and nothing material has been concealed therefrom.



Applicant In Person

VERIFICATION

Verified on this 15th day of July 2026 that the contents of the present Application are true and correct to my knowledge and belief and nothing material is concealed therefrom,



Applicant In Person/Deponent

ANNEXURE 1

प्रेषक-

अधिसूची, कश्मिरी
इनेज खण्ड-प्रथम, मेरठ

प्रेषित-

श्री. राजनीश कर्णवाल
मैन रोड-बी/17,
हरिनापुर, मेरठ।

पत्रांक-

988 / सीडीएम/सूचना अधिनियम-2005/

विषय-

सूचना का अधिसूची अधिनियम-2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ-

आरटीआई पोर्टल के रजिस्ट्रेशन नम्बर CEHDI/B/2026/51045 Date 29-04-2026

महोदय,

दिनांक-

27/5/2026

कृपया उपरोक्त दिवस अपने संदर्भित आवेदन पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जोकि इस कार्यालय में कार्यालय मुख्य अभियंता (गंगा), सिविल एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, मेरठ के पत्रांक संख्या-4225/मअगंगा/आरटीआई पोर्टल/दिनांक 04.05.2025 के माध्यम से दिनांक 07.05.2026 को प्राप्त हुआ है। संदर्भित आवेदन पत्र के माध्यम से आपके द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना विन्दुवार निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	विन्दु	आख्या
01	संस्तिनापुर सेहुरी क्षेत्र (जिला-मेरठ) में तटबंध निर्माण कार्य के संबंध में यह अवगत कराया जाए कि क्या इस हेतु वन विभाग अथवा अन्य संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। यदि हाँ, तो संबंधित अनुमति पत्रों/दस्तावेजों की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई जाए।	अवगत कराना है कि जनपद मेरठ में गंगा नदी के दाए किनारे पर संस्तिनापुर तटबंध निर्माण की परियोजना विभिन्न विभागीय समितियों में अनुमोदन उपरांत भारत सरकार, जल संचालन, नदी विकास गंगा संरक्षण विभाग, बाढ़ नियंत्रण आयोग, लखनऊ के द्वारा Techno economic appraisal clearance प्राप्त होने के उपरांत ही इस परियोजना पर केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। यहां यह भी अवगत कराना है गंगा नदी की बाढ़ से प्रत्येक वर्ष संस्तिनापुर क्षेत्र, वन क्षेत्र एवं कृषकों की भूमि में बाढ़ का पानी आने से फसलें नष्ट होती हैं जीव जन्तुओं को भी नुकसान पहुंचाने की संभावना बनी रहती है, इसलिए तटबंध का निर्माण कराया जाना आवश्यक था।
02	यह अवगत कराया जाए कि तटबंध निर्माण से पूर्व क्या कोई वैज्ञानिक अध्ययन/पर्यावरणीय आकलन किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि तटबंध निर्माण का जल कोटो एवं पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि ऐसा कोई अध्ययन किया गया है तो उसकी पूर्ण रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराई जाए।	विन्दु संख्या-01 के अनुसार।
03	यह अवगत कराया जाए कि संबंधित तटबंध का निर्माण क्या गंगा नदी के फ्लड प्लेन क्षेत्र में किया जा रहा है। यदि हाँ, तो कृपया यह भी सूचित करने का कष्ट करें कि क्या इस संबंध में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMG) से आवश्यक अनुमति/अनापत्ति प्राप्त की गई है। यदि अनुमति प्राप्त की गई है तो संबंधित स्वीकृति पत्र एवं अभिलेखों की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए।	विन्दु संख्या-01 के अनुसार एवं यहां यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त समस्त तटबंध निर्माण का कार्य नमामि गंगे की जिला लेवल की समिति के सज्ञान में ही कराया जा रहा है तथा जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय होते हैं।
04	यह अवगत कराया जाए कि तटबंध निर्माण हेतु मिट्टी का खनन किन-किन स्थलों/क्षेत्रों से किया जा रहा है। कृपया संबंधित स्थलों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जाए। साथ ही इस खनन कार्य के लिए प्राप्त अनुमति पत्र, स्वीकृति तथा अन्य संबंधित अभिलेखों की सत्यापित प्रतिलिपियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	तटबंध निर्माण हेतु मिट्टी खनन का कार्य ग्राम सोफपुर फिरोजपुर एवं ग्राम इकतारा में जिलाधिकारी महोदय, मेरठ/संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने के उपरांत ही किया गया है। मिट्टी खनन की अनुमति विभाग द्वारा नहीं ली जाती है कार्य क्षेत्र से संबंधित ठेकेदार द्वारा ही मिट्टी खनन की अनुमति ली जाती है।
05	यह भी अवगत कराया जाए कि तटबंध निर्माण के अंतर्गत गंगा नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का परिवर्तन प्रस्तावित या किया जा रहा है अथवा नहीं। यदि हाँ, तो उसके साथ में विस्तृत विवरण, स्वीकृत योजना एवं संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराए जाए।	कोई नहीं।

अधिसूची अभियंता
इनेज खण्ड-प्रथम, मेरठ

True Copy
S. K. Kaur